

जम्मू-कश्मीर को दो अलग राज्य बनाने की मांग

- सज्जाद लोन बोले-सौहार्द्रपूर्ण अलगाव पर विचार का समय

श्रीनगर (एजेंसी)। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू और कश्मीर को दो अलग राज्यों में बांटने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्द्रपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। लोन ने कहा कि कश्मीर ऐसे क्षेत्रीय रवये को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करता रहा। देश के बाकी हिस्सों में यह धारणा फैलाए कि जम्मू देश के साथ है और कश्मीर आतंकवाद का क्षेत्र है। जम्मू- कश्मीर के



पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने यह बातें बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कुछ दिनों पहले भाजपा के जम्मू नॉर्थ से विधायक श्याम लाल शर्मा ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू अब कश्मीर का बोझ नहीं उठा सकता। लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कश्मीर के बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का चुनावी वादा पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा यही है कि किए गए वादे को निभाया जाए और यूनिवर्सिटी बडगाम में ही रहे।

एक्टर विजय को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर दिया हाईकोर्ट जाने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। अभिनेता से नेता बने विजय अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन को लेकर चर्चा में हैं। मद्रास हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मेकर्स को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। जन नायकन के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में ही जारी रखने का आदेश दिया है। ये



फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी न मिलने के कारण फिल्म की रिलीजिंग आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म के मेकर्स की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा, हम इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेकर्स का पक्ष रखते हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। हमें पूरे भारत में 5000 थियेटरर्स मिले थे।

एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 19 दिनों की है कार्य अवधि, निपटाए जाएंगे कई काम

भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह महत्वपूर्ण सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा। कुल 19 दिनों की इस अवधि के दौरान सदन की 14 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें सरकार अपना आगामी वार्षिक बजट पेश करेगी। इस सत्र में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। 16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सरकार द्वारा अनुपूर्व बजट और मुख्य बजट के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विधायी विधेयक सदन की



मेज पर रखे जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष ने भी कानून-व्यवस्था, एंबुलेंस सेवाओं की बढहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में 19 दिनों का यह सत्र काफी गहमागहमी भरा रहने की उम्मीद है। एमपी विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारियों

सुबह सवेरे

अमेरिका की धमकी के बाद शिया देश का सरेंडर

● पीछे हटा ईरान, विदेश मंत्री बोले-कोई फांसी नहीं ● ट्रम्प का दावा-प्रदर्शनकारियों की हत्याएं अब रुकीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्री ने फॉक्स न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बेयर कार्यक्रम में दिए एक इंटरव्यू में कहा, फांसी देने की कोई योजना नहीं है। फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं, बुधवार को ट्रम्प ने भी बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। इससे पहले ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से



फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुलतानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद ट्रम्प ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी।

ट्रम्प ने कहा , अगर वे फांसी देते हैं, तो आप कुछ भयानक देखेंगे। ईरान ने सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रम्प को जान से मारने की धमकी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी पर्शियन में थी। इस धमकी में पेंसिल्वेनिया के बटलर में 2024 में ट्रम्प पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई। जिसके साथ एक संदेश था इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह ट्रम्प के खिलाफ तेहरान की अब तक की सबसे सीधी धमकी है, इससे पहले ट्रम्प ने ही बार-बार ईरान सरकार को धमकी दी है कि अगर वह कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा।

आई-पैक रेड मामला

ईडी अफसरों पर दर्ज FIR पर ‘सुप्रीम’ रोक

● ममता सरकार को नोटिस, कहा-एजेंसी के काम में रुकावट न डालें

● यह गंभीर मामला , हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी



नई दिल्ली (एजेंसी)। आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न

डालें। एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर एजेंसियाईमानवारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है।

रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस

● अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का है आरोप

रांची (एजेंसी)। रांची के ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। दरअसल, ईडी के दो अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ईडी



दफ्तर में सदर एडीओपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। वहीं ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अब भी जांच चल रही है। रांची के चुटिया के संतोष कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की।

भारतीय पासपोर्ट मजबूत 85 से 80वें नंबर पर आया

55 देशों में वीजा फ्री एंट्री, पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां सबसे कमजोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले एक साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85 थी। नई रैंकिंग के मुताबिक, भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्ण वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति है, इसी आधार पर तय की जाती है। इधर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है। पिछले साल 2025 में पाक की रैंकिंग 103 थी। वहीं, बांग्लादेशी पासपोर्ट 95 वें नंबर पर है और दुनिया

का 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है, जिसे 227 में से 192 देशों में वीजा-फ्री एंट्री है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, इन देशों के नागरिक 188 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 2025 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर था और 57 देशों तक वीजा-फ्री पहुंच थी। 2024 में भी भारत की रैंक 80 थी। यानी 2025 में गिरावट के बाद 2026 में फिर से सुधार देखने को मिला है। हालांकि, वीजा-फ्री यात्रा में 2 देशों कम हो गए हैं। 186 देशों में फ्री वीजा एंट्री के साथ डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहे।



आग की चेतावनी ! सिंगापुर जा रही फ्लाइट वापस लौटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिंगापुर जा रहे एयर इंडिया के एक विमान तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इस फ्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये विमान वापस लौट आया। सूत्रों ने बताया कि विमान में करीब 190 लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार, ड्रीमलाइनर विमान में एपीयू (ऑक्सिलियरी पावर यूनिट) में आग की

चेतावनी मिली, जिसके बाद विमान करीब एक घंटे तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। पूरा मामला बुधवार देर शाम का है, जब एयर इंडिया के विमान की दिल्ली एयरपोर्ट लैंडिंग हुई। इसके बाद यात्रियों को वैकल्पिक विमान से सिंगापुर भेजा गया। इस संबंध में संपर्क करने पर एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि सिंगापुर जा रही उड़ान में हादसा हुआ।

● एयर इंडिया की फ्लाइट में कुल 190 लोग थे सवार

बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर वृत्त के पूर्व शहर संभाग अंतर्गत बाग फरहत अफजा एशबाग में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी के इंडस्ट्रियल गेट कार्यालय प्रबंधक श्री संजय बारमासे ने बताया कि बाग फरहत अफजा निवासी श्रीमती शहजादी बी द्वारा विद्युत देयक बकाया 1 लाख 41 हजार 669 रुपए जमा नहीं किया जा रहा था। उन्होंने उक्त मकान सीमा बेगम को विक्रय कर दिया। सीमा बेगम को बताया गया कि आपके द्वारा क्रय किये गये मकान का विद्युत देयक बकाया है। यदि बकाया देयक जमा नहीं किया तो विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों को अभद्रता की और मारपीट करते

हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरोपितों सीमा बेगम, श्री आशु एवं श्री समीर के खिलाफ एशबाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296(बी), 132, 351(3) , 3(5) में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाना एशबाग ने भी प्रकरण पर संज्ञान लेकर विवेचना शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई. आर. कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

अपनी सांस्कृतिक अनुभूतियों का देश हित में करें उपयोग: राज्यपाल

राज्यपाल से मिले सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट्स



भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रशिक्षण, अधिकारियों को सशस्त्र सीमा बल के लिये केवल अधिकारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सजग राष्ट्र-प्रहरी के रूप में तैयार करने का समन्वित प्रयास है। प्रशिक्षण, व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक-दूसरे के राज्य की संस्कृति, विशेषताओं और विविधताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अपने राज्य की विशिष्टताओं की अनुभूतियों और प्रशिक्षण के निर्देशों

का देश हित में उपयोग कर, ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण में योगदान दें। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्र के प्रतिष्ठित बल में चयन की बधाई और शुभकामनाएं दीं। लोकभवन में आयोजित सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आप सभी उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल अकादमी

भोपाल का हिस्सा बनकर भी भारतीय की सेवा का अवसर मिला है। आपकी वही केवल पहचान नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। इसी वही के साये में देशवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब अपने परिवार से दूर सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं, तभी हर देशवासी चैन और शांति की नींद सो पाता है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी ही समाज में विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। आप सभी निष्ठा, समर्पण और साहस के साथ राष्ट्र की सेवा करें।

भोपाल की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं

सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, नक्सलवाद, तस्करी, साइबर अपराध और असामाजिक गतिविधियाँ जैसी अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। राष्ट्र प्रहरी के रूप में आपके निर्णय और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रतिभा से सीमा सुरक्षा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक, व्यावसायिक ज्ञान, शारीरिक और मानसिक सक्रियता के नए मानक स्थापित करें। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनके अनुभवों से सीखें और अपने ज्ञान को सहकर्मियों के साथ साझा भी करें। राज्यपाल श्री पटेल का एस.एस.बी. अकादमी भोपाल के निदेशक श्री बी.एस. जायसवाल ने पौधा भेंट कर स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिन्नंदन किया। एस.एस.बी. अकादमी भोपाल निदेशक श्री जायसवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अनुका मनीयारा और श्री अनुराग भार्गव ने प्रशिक्षण में अनुभवों को साझा किया। कमांडेंट प्रशिक्षण श्रीमती सुवर्णा सजवाल ने आभार व्यक्त किया। कोर्स डायरेक्टर डिप्टी कमांडेंट प्रशिक्षण श्री रोहित शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, लोकभवन और एस.एस.बी. के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

इंदौर नंबर-1 था, है और हमेशा रहेगा

भागीरथपुरा की घटना के बाद दहाड़े कैलाश

इंदौर। मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार आठ बार पर अव्वल रहने के बारे में बेबुनियाद सवाल उठाकर शहर की जनता और सफाई कर्मियों का अपमान कर रहा है। दूषित पेयजल के कारण फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से कई लोगों की मौत को लेकर सुखियों में चल रहा शहर का भागीरथपुरा इलाका विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र ‘इंदौर-1’ में आता है। इस घटनाक्रम के बाद से वह कांग्रेस के निशाने पर चल रहे हैं। राज्य के नगरीय विकास एवं

आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विपक्षी दल पर पलटवार करते हुए कहा कि एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं और शहर के सफाई कर्मियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपकी मां, बहन और बेटी रात के दो बजे घर से निकलकर सड़क पर सफाई कर सकती हैं? ये इंदौर के सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को शहर को स्वच्छ करने के लिए रात के दो बजे भी भेजते हैं।

फर्जी दस्तावेजों का कर रही इस्तेमाल

प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के सेवन से कई लोगों की मौत के बाद हाल ही में दावा किया है कि सरकारी अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज पेश करके इंदौर को स्वच्छता के सिलसिलेवार खिताब दिलाए हैं। विजयवर्गीय ने सिंघार का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को अव्वल बनाने के लिए गलत दस्तावेज पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बोलना स्वच्छता के लिए इंदौर की जनता की भागीदारी का भी अपमान है। इन बेशर्मी को शहर के सफाई कर्मियों और जनता से माफी मांगनी चाहिए। विजयवर्गीय ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर ‘नम्बर 1’ था, है और हमेशा रहेगा। काबीना मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शहर के हित में कौन-से काम किए हैं? विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पुरानी कहावत है कि बिछ्री के भाग्य से छीका टूट गया। ऐसे में बिछ्री की तो दीपावली हो गई। बिछ्री की भले ही दीपावली हो गई, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि शहर की आन-बान-शान जाने नहीं देंगे। गौरतलब है कि प्रशासन ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक छह लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप के कारण छह माह के बच्चे समेत 23 मरीजों के दम तोड़ने का दावा किया है। मृतकों की तादाद को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच, शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति के किए गए ‘डैथ ऑडिट’ की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत उल्टी-दस्त के प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है।

भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन भिड़े, 5 की मौत सभी मृतक एक ही परिवार के, अंतिम क्रिया के लिए नर्मदापुरम जा रहे थे

भोपाल। भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 घायल हुए हैं। हादसा बैरसिया थाना इलाके में बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे हुआ। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। टीआई वीरेंद्र सेन ने बताया कि सिरोंज के एक ही परिवार के 15 लोग लोडिंग वाहन में थे। इनमें से पांच की मौत हो गई है। नौ घायल हुए हैं। ट्रैक्टर सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को बैरसिया शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोडिंग वाहन में सवार परिवार किसी परिजन की अंतिम क्रिया के लिए नर्मदापुरम जा रहा था। जैसे ही उनका वाहन बैरसिया थाना इलाके में ठाकुर लाल सिंह स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई। इसमें लोडिंग



वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए। बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा, एसपी नीरज चौरसिया और बैरसिया टीआई वीरेंद्र सेन समेत विधायक विष्णु खत्री अस्पताल पहुंचे।

भोपाल में बीसीए फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाई मां से बोला-मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं अपना ध्यान रखना

भोपाल। भोपाल के वल्लभ नगर में रहने वाले बीसीए फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बुधवार रात छात्र का शव उसके कमरे से मां की साड़ी से बने फंदे पर लटका मिला। छात्र ने जन्मदिन के दिन ही खुदकुशी की। सुसाइड से पहले उसने मां को कॉल कर बताया कि मैं जान दे रहा हूँ...अपना ख्याल रखना। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुशील चौरसिया (23) पुत्र रामस्वरूप चौरसिया वल्लभ नगर में रहता था और एक प्राइवेट कॉलेज से बीसीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसके मां और पिता रातीबड़ इलाके में नया मकान बनवा रहे हैं। दोनों बुधवार सुबह से वहां चले गए थे। सुशील का बुधवार को जन्मदिन था, रात के समय दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी थी। दोस्त इसकी तैयारी में थे। उसके दोनों बड़े भाई अपने-अपने काम पर चले गए थे। युवक घर में अकेला था। शाम के समय उसने मां को कॉल कर कहा कि मैं बहुत दूर रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, मां



ने उसे समझाइश दी। जब मां और पिता घर लौटे तो बेटे के शव को फंदे पर लटका हुआ देखा। गुरुवार को पीएम के बाद बाँडी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

एमपी में राजगढ़ सबसे ठंडा, टेम्प्रेचर 5.5 डिग्री

इंदौर जिले में एक ही रात 3.4 डिग्री लुढ़का पारा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मावठा गिरने के बने आसार

भोपाल। मध्यप्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ गया है। बुधवार रात राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रहा। इंदौर में पारे में एक ही रात में 3.4 डिग्री की गिरावट हुई और यह 6.8 डिग्री पर आ गया। प्रदेश के सभी 5 बड़े शहर- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में तापमान फिर से 10 डिग्री से नीचे आ गया है। बुधवार-गुरुवार की रात में भोपाल में 8 डिग्री, ग्वालियर में 7.4 डिग्री, उज्जैन में 9 डिग्री और जबलपुर में तापमान 9.8 डिग्री रहा। वहीं, रीवा में 6.2 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, पचमढ़ी में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। उमरिया, नौगांव, मंडला, खजुराहो, सतना, दमोह, सीधी, रायसेन, रथोपुर, शिवपुरी, गुना, मलाजखंड और रतलाम में भी तापमान 10 डिग्री से कम



रहा। सुबह ग्वालियर में घना कोहरा छाया रहा। यहां विजिबिलिटी 1 हजार मीटर तक

रही। भोपाल, दतिया, गुना, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, रीवा, सतना, राजगढ़, रतलाम,

कल्याणपुर-करौंदी सबसे ठंडे, ग्वालियर में 7.1 डिग्री दर्ज

प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड और कोहरे का असर है। मंगलवार-बुधवार की रात शहडोल के कल्याणपुर में 4.8 डिग्री और कटनी के करौंदी में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा में 5.8 डिग्री, मंदसौर-चित्रकूट में 6.1 डिग्री, खजुराहो में 6.2 डिग्री, उमरिया में 6.8 डिग्री, दतिया-मंडला में 7 डिग्री, राजगढ़-नौगांव में 7.2 डिग्री, पचमढ़ी में 7.8 डिग्री, शिवपुरी में 8 डिग्री, दमोह-सीधी में 9 डिग्री, रायसेन-रथोपुर में 9.4 डिग्री रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 9.8 डिग्री, इंदौर में 10.2 डिग्री, उज्जैन में 11.2 डिग्री और जबलपुर में तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया।

थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों का अब फ्री में होगा इलाज

मेदांता फाउंडेशन और एनएचएम के बीच हुआ करार, 8 लाख से कम आय वाले होंगे पात्र



भोपाल। थकान, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ और पेट में सूजन थैलेसीमिया के लक्षण हैं। इसके MP में 2 हजार से अधिक रजिस्टर केस हैं। करीब 1800 मरीज नियमित रूप से ब्लड सेंटर्स जाकर ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। सरकार ने पहली बार इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। इसका जिलेवार डेटा जुटाया जा रहा है। मेदांता फाउंडेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने फोटो-HLA टेस्ट से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए हाल ही में एक MOU भी किया गया है। मध्यप्रदेश में थैलेसीमिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश परिवारों को यह भी नहीं पता कि इलाज सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि थैलेसीमिया के रोगी यदि पात्र हों तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) के जरिए पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अपना आगे का जीवन सामान्य रूप से जी सकता है। NHM से मिली जानकारी के अनुसार इलाज में देरी या लापरवाही से शरीर में अयस्क ओवरलोड हो जाता है, जो हृदय, लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।

एमपी सरकार जुटा रही जिला-वार डेटा

थैलेसीमिया मामलों की सही तस्वीर सामने लाने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर डेटा कलेक्शन शुरू किया है। लक्ष्य यह है कि कितने बच्चे ट्रांसफ्यूजन पर हैं, किस उम्र में बीमारी सामने आई, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और कौन BMT के लिए पात्र है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिलेवार आंकड़े मिलने पर हर बच्चे की मेडिकल-स्किल बेस्ड योजना बनाई जा सकेगी और समय रहते हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

पानी में ‘जहर’ और 15 लाख पेड़ों की बलि

एनजीटी ने सरकार से कहा-ऐसा नहीं चलेगा

भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पेयजल की बदहाली और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बेहद कड़ा रख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने इन तीन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते

आदमपुर और हरिपुरा जैसे क्षेत्रों में भूजल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है, जिससे लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। एक तरफ पानी में जहर घुल रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर हरियाली का गला घोंटा जा रहा है। एनजीटी ने संज्ञान लिया है कि सड़कों, रेलवे और कोयला खदानों के लिए एमपी



हुए एनजीटी ने माना है कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी अब पीने लायक नहीं बचा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुरानी और जर्जर पाइप लाइनों की वजह से सीवेज का गंदा पानी पेयजल में मिल रहा है। इंदौर और भोपाल में खौफनाक मंजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से डराने वाली खबरें हैं। इंदौर में गंदे पानी के सेवन से मौतें होने का हवाला दिया गया है, वहीं भोपाल के कई इलाकों में ‘ई-कोलाई’ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल के

में करीब 15 लाख पुराने पेड़ों को काटा जा चुका है या काटने की तैयारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और विदिशा जैसे शहरों में इस भारी कटाई के कारण हवा (AQI) भी अब जहरीली होने लगी है। सरकार से जवाब तलब एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. संधिल वेल ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों को सुरक्षित पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

कोल्ड वेव या कोल्ड डे का अलर्ट भी नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश में कहीं भी कोल्ड वेव यानी, शीतलहर का अलर्ट नहीं है। न ही कहीं कोल्ड डे रहेगा। इस बार मध्यप्रदेश में नवंबर-दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर में 84 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी तो दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। नवंबर-दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़क की ठंड पड़ रही है। इससे भोपाल में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक्सपर्ट की माने तो जनवरी में प्रदेश में माइनस वाली ठंड गिर चुकी है। अबकी बार भी तेज सर्दी, घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी चल रही है।



संपादकीय

चाइनीज मांडो पर सख्ती से आगे की राह

बक्सों से मकर संक्रांति और पतंग उड़ाने का उत्सव भारत के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन, हाल के वर्षों में यह पारंपरिक शौक जानलेवा बन गया। चाइनीज मांडा, जो कांच और धातु के जहरीले मिश्रण से बना होता है, गर्दन रेत रहा है, आंखें फोड़ रहा है और कई बार मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। इंदौर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ऐसे घटनाएं आम हो गईं, जहां साधारण पतंगबाजी दुर्घटना में बदल गई। प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया, पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन क्या यह काफी है! समस्या की जड़ चाइनीज मांडे के उत्पादन और आयात में है, जिसे रोकना होगा। केवल बिज्जी और खरीद पर रोक से यह काला बाजार खत्म नहीं होगा। चाइनीज मांडे की खतरनाक प्रकृति समझना जरूरी है। पारंपरिक मांडा सूत पर कांच का लेप होता था, जो पर्यावरण-अनुकूल और कम घातक था। लेकिन, चीन से आयातित यह मांडा प्लास्टिक कोटिंग के साथ कांच, एल्यूमिनियम और कभी-कभी ब्रोमीन जैसे रसायनों से बना होता है। यह इतना तेज होता है कि बाइक सवारों की गला काट देता है, पक्षियों को मार गिराता है और इंसानों को गंभीर चोट पहुंचाता है। हाल के सालों में मध्य प्रदेश में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए, जहां पतंगबाजी के दौरान लोग शिकार बने। एनजीटी ने भी इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक घोषित किया। फिर भी, सस्ते दाम और आसानी से उपलब्धता के कारण इसका चलन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन प्रतिबंध लगाता है, लेकिन स्थानीय बाजारों में 'चीनी धागा' या 'सुपर मांडा' नाम से यह बिकता रहता है। क्योंकि, प्रशासनिक प्रयासों की कमी है। मकर संक्रांति से पहले पुलिस अभियान चलाती है, दुकानों पर छापे मारती है, लाखों मीटर मांडा जब्त करती है। इंदौर में चाइनीज मांडा पकड़ा गया। लेकिन प्रतिबंध केवल सतही हैं। दंड संहिता के तहत जुर्माना या जेल की धमकी दी जाती है, पर अमल ढीला रहता है। विक्रेता छोटे-छोटे ठेके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, जबकि खरीदार उत्सव की धूम में लापरवाह हो जाते हैं। समस्या यह है कि प्रतिबंध बिज्जी और उपयोग तक सीमित हैं, स्रोत तक नहीं पहुंचते। चाइनीज मांडा मुख्यतः चीन के गुआंगडू और विन्यू जैसे बाजारों से भारत आता है, जो ई-कॉमर्स, अनौपचारिक आयात या स्थानीय नकली उत्पादन के जरिए देश में घुसता है। कस्टम विभाग जल्ती करता है, लेकिन मात्रा विशाल है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सालाना करोड़ों मीटर चाइनीज मांडा आता है। इसके समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। सबसे पहले, स्रोत पर चोट करनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय को चाइनीज मांडे के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर हुआ। कस्टम्स को विशेष निगरानी यूनिट गठित करनी चाहिए, जो डाक, कूरियर और ऑनलाइन आयात पर नजर रखे। स्थानीय स्तर पर नकली उत्पादन रोकने हेतु फैक्ट्रियों की जांच अभियान चलाएं। केवल दमन से काम नहीं चलेगा; जागरूकता अभियान जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों में वर्कशॉप आयोजित कर पारंपरिक मांडे का प्रचार करें। 'चीनी मांडा मुक्त संक्रांति' जैसे कैपेन चलाकर विक्रेताओं को वैकल्पिक रोजगार दें, जैसे जैविक मांडा निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार में कुछ हद तक सख्ती तो हुई, पर इतनी प्रभावी नहीं कि ऐसे जानलेवा मांडे पर रोक लग सके। कानूनी सख्ती के साथ सामाजिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। एनजीओ और समाजसेवी क्लब और पक्षी संरक्षण वाले संगठनों को सक्रिय किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाकर खतरे का अहसास कराएं। यदि स्रोत रोका गया, तो बिज्जी खुद कम हो जाएगी। उल्टाहर यह है कि गुजरात में सामुदायिक प्रयासों से चाइनीज मांडा 70% कम हुआ। केंद्र सरकार को 'पतंग नीति' बनानी चाहिए, जो आयात से उत्पादन तक निरीक्षण करे। यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। उत्सव की खुशी में सुरक्षा का ध्यान रखें। चाइनीज मांडा रोकना है तो स्रोत को सुखाना होगा, न कि केवल पड़ के पते काटना। तभी हमारा पारंपरिक शौक फिर से सुरक्षित बनेगा।

न्याय त्वरस्था में जमानत और गरीबी का सवाल

सामायिक

अमरपाल सिंह वर्मा

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक कैदी खरताराम की चिढ़ाई की ही याचिका मानकर सुनाए गए फैसले में कहा है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार बन सकती है। पाली जिला का निवासी खरताराम हत्या के एक मामले में 2014 से सजा काट रहा है। जिला पैराल कमेटी ने 29 सितंबर 2025 को उसे चौथी बार 40 दिन की नियमित पैराल पर रिहा करने का आदेश दिया लेकिन इसके साथ 25-25 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने की शर्त जोड़ दी गई। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण खरताराम यह शर्त पूरी नहीं कर सका। उसके पास वकालत करने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जेल से ही पोस्टकार्ड भेजकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने न केवल उसकी याचिका सुनी बल्कि इस फैसले को ऐसे मामलों में एक नए रोल के रूप में स्थापित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पैराल या जमानत की शर्तें तय करते समय अधिकारियों को मशीनी रवैया छोड़कर मानवीय और संवैधानिक दृष्टि अपनानी होगी।

यह फैसला केवल एक कैदी को राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जिसमें देश में हजारों गरीब कैदी फंसे हुए हैं। सवाल केवल पैराल का नहीं है। सवाल उस व्यापक ढांचे का है, जहां जमानत, पैराल और अर्थदंड जैसे कानूनी प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए राहत नहीं बल्कि नई सजा बन जाते हैं। देश की जेलों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैराल दे चुकी हैं लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे ही पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिसकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जमाना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही। इस तरह कानून की प्रक्रिया

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धू परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोंकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इन्से समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में वेंचर प्रोफ़ेसर हैं।



बीते दिनों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एक साहित्यिक संगोष्ठी के दौरान जिस प्रकार की असहिष्णुता सामने आई, वह किसी को भी अप्रिय लगेगी। विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा होती है। उसके अपने अनुशासन होते हैं। विश्वविद्यालय कैम्पस में शिक्षार्थी, शोधार्थी और प्रशासन के लोगों का अपना आकाश होता है। इस विद्या मंदिर में कुलपति जी का अपना एक औरा होता है। किसी विश्वविद्यालय कैम्पस में कार्यक्रम की भी अपनी गरिमा होती है। लेकिन जहाँ सभी लोग पढ़े-लिखे बैठे थे, वहीं से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जो देश में चर्चा की विषय बन गयी। चर्चा होती भी क्यों नहीं बात ही कुछ इस प्रकार की उस सभागार में हो गयी।

भारतीय पढ़े-लिखे लोगों में असहिष्णु मन कुछ ज्यादा ही हावी होने लगे हैं। किसी को भी धैर्य नहीं है। सब अधीर हो रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण पहले विश्वविद्यालय कैम्पस में नहीं होते थे। लोगों के भीतर सहन-शक्ति तो होती ही थी। वे अपने आपको प्रतिबद्ध करके कार्यक्रम में मनोयोग से बैठे होते थे। अब देश में विश्वविद्यालय कैम्पस बहुत ही शोर व अधीर से हो गए हैं। इस देश में विश्व गुरु बनते विश्वविद्यालयों की अब यह हालत देखकर लगता है कि इनकी रैंकिंग अब अपनी अधीरता के मापांक पर पहले हो जाएगी और पठन-पाठन, शोध व साधना के लिए विश्व में 500वीं रैंक से बाहर हो जायेगी। देश में यह माहौल उस समय पनपा है जब देश के प्रधान मंत्री प्रत्येक दिन भारत के विकसित होने की बात कर रहे हैं और वह यह चाहते हैं की 2047 तक कम से कम भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँच जाए।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की अब बात की जाए तो वहां जो कुलपति द्वारा एक नामचीन साहित्यकार को सभागार छोड़कर जाने को कहा गया उस पर बहुत ही गंभीर तरीके से प्रतिक्रिया अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज की गयी। ऐसा लगा की यह ऑपरेशन सिंदूर की भाँति गोले-तोप व मिखाइल से हमले शुरू हो गए हैं। लंबी पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब लिखी गयी। अधिकांश सोशल मीडिया पर लिखी गयी टिप्पणी मनोज रूपड़ा के पक्ष में लिखे गए और

असहिष्णु पीढ़ी से नाउम्मीद होता भारत

भारतीय पढ़े-लिखे लोगों में असहिष्णु मन कुछ ज्यादा ही हावी होने लगे हैं। किसी को भी धैर्य नहीं है। सब अधीर हो रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण पहले विश्वविद्यालय कैम्पस में नहीं होते थे। लोगों के भीतर सहन-शक्ति तो होती ही थी। वे अपने आपको प्रतिबद्ध करके कार्यक्रम में मनोयोग से बैठे होते थे। अब देश में विश्वविद्यालय कैम्पस बहुत ही शोर व अधीर से हो गए हैं। इस देश में विश्व गुरु बनते विश्वविद्यालयों की अब यह हालत देखकर लगता है कि इनकी रैंकिंग अब अपनी अधीरता के मापांक पर पहले हो जाएगी और पठन-पाठन, शोध व साधना के लिए विश्व में 500वीं रैंक से बाहर हो जायेगी।

कुलपति प्रो। आलोक चक्रवाल के खिलाफ प्रकाशित की गयी। अधिकांश बौद्धिक समाज कहलाने वाला वर्ग रूपड़ा को संयमित, विनम्र और सही टिप्पणी करने के लिए स्मरण किया और उनकी पीठ थपथपाई। कुलपति के खिलाफ जितनी भी बातें हो सकती थी, सब कह दिया। कुछ लोग कुलपति चक्रवाल के अतीत को झांकना, कुछ निकालना और उस पर बरसना शुरू कर दिए। एक लंबा जीवन जीकर कोई भी कुलपति बनता है तो छोटे-बड़े उतार चढ़ाव के बाद ही इस पद तक पहुँचता है। उसके जीवन के



अनेक ऐसे पल होते हैं जो संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप में बीते होते हैं। अब भला कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे डिटजेंट में धोकर सरकारें कुलपति बनाती हैं। सभी के ऊपर कोई न कोई आरोप लगाने वाला होता है और कोई न कोई काम नहीं होने देने के सौगंध के साथ कुछ नहीं करेगा तो उसकी कैसे फजीहत हो सकती है, इसके पीछे पूरी ऊर्जा खपत करता है। ऐसी स्थिति में सरकारें जब कुलपति की नियुक्ति करेगी तो कहीं से कुलपति लाएंगी, आकाश से, एआई से या पाताल से क्योंकि पृथ्वी के लोगों में गुण और दोष तो उनके जीवन का हिस्सा होते हैं।

खैर, उस दिन जो कार्यक्रम था वह साहित्य अकादमी के सहयोग से हो रहा था। हिंदी विभाग आयोजक था स्थानीय स्तर पर और स्वाभाविक रूप से कुलपति प्रो। आलोक चक्रवाल उस कार्यक्रम में

किसी न किसी रूप में सम्मिलित होंगे। एक कुलपति के अपने जीवन के प्रसंग भी होते हैं, उसे उन्होंने सुनना शुरू किया और उनके मन में जब थोड़ा देरी होने पर एक बात आई कि और वह भी स्वतःस्फूर्त ही लगी कि उन्होंने पूछा कि क्यों आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इस पर तपाक से कहानीकार मनोज रूपड़ा ने कह दिया विषय पर आप आइये तो अच्छा होता। मनोज रूपड़ा को यह कदाचित नहीं बोलना चाहिए था। जिस कैम्पस में आप बैठे हैं उस कैम्पस के मुख्य अधिकारी प्रशासनिक व अकादमिक रूप से कुलपति ही होते हैं।

उन्हें इतनी प्रिविलेज होती ही है कि वह चाहे जितना समय लें, लेकर बोलें। लेकिन मनोज रूपड़ा को लगा की वह अपने लेखक मंडली में बैठें हैं और जो उनके मन में है वह दोस्त से बात कर रहे हैं। यह बात उन्हें अपने समकक्ष लोगों के साथ बोलते हुए सुनना अच्छ लगता है लेकिन कुलपति के लिए उनका इस प्रकार कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। उन्हें इस बात का भान अगर होता कि वह एक ऐसे सभागार में बैठे हैं जिसका संरक्षक प्रशासकीय व अकादमिक रूप से कुलपति ही है तो वह यह नहीं बोलते लेकिन लेखकों की विरादरी भी अपनी मर्यादा कभी कभी भूल जाती है और वह कुछ भी बोल जाती है, यह एक सचाई है।

विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी संगोष्ठी व सम्मेलन में प्रतिभागिता करते हुए लेखक हों या कोई

सरकार में मंत्री व प्रशासन के लोग सबको यह खयाल रखना चाहिए कि यह उनकी अपनी सकिंल नहीं है अपितु यह एक अकादमिक स्थल है और अकादमिक स्थल में विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक हैं। उन पर हमारे बोलने का असर होगा। हम मर्यादित होकर गरिमा के अनुकूल संसदीय व सभ्य ही होकर पेश आयें। लेकिन असहिष्णु व बेचैन इस समय की कोई भी कम्युनिटी हो यह नहीं सोच रही है कि वह कहीं बेठी है और क्या बोल रही है। उसके आचरण किसको प्रभावित करने जा रहे हैं। प्रायः हमने कई कार्यक्रमों में देखा कि जो भी आईडियस है वह बार-बार अपनी मोबाईल देखती है। शिक्षक भी देखते हैं और कुलपति भी। इतनी अगर आपके पास समय की कमी है और आप इतने ही व्यस्त तो तो ऐसे कार्यक्रमों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रधान मंत्री भी प्रत्येक दिन कार्यक्रम में रहते हैं और वह मोबाईल देखा करें तो कभी भी वह इतने सारे कार्यक्रमों में न जा सकेंगे और न कुछ बोल सकेंगे न ही उस कार्यक्रम की गरिमा ही रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो लोग बार-बार अपनी मोबाइल से खुद व अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करते हैं, वे प्रधान मंत्री से भी अधिक विजयी हैं?

इस बेचैन, अधीर और असहिष्णु खेप से तो भारत का भला होना नहीं है, एक बात तो तय है। कुलपति प्रो। चक्रवाल को भी थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए था लेकिन अगर वे उस सभागार में छोड़ देते मनोज रूपड़ा को कुछ बिना कहे तो वह जिंदगी भर यह कहते कि हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में गए थे और कुलपति ने मुझसे पूछा तो हमने तो वहीं उनको लताड़ दिया था। इसलिए भी चक्रवाल ने जो कहा वह उचित है और विश्वविद्यालय परिसर में किस प्रकार की बातें होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए उस पर उनका एक प्रशासनिक तरीके का सन्देश है जिसे किसी दबाव में आकर एकदम से गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सहिष्णुता कैसे कायम होगी, इस पर हमारी चिंता आज बढ़ गयी है और देश का भला कैसे होगा अब यह भी चिंता का विषय है क्योंकि आज की पीढ़ी जिस प्रकार से एक-दूसरे के साथ पेश आ रही है वह देश हित में तो नहीं है।

चाइनीज मांडो की डोर, मौत की ओर

मुद्दा

सापना सी.पी. साहू 'स्वनिल'

मकर संक्रांति सूर्य के उतरायण होने का वह पावन पर्व है, जो भारतीय संस्कृति में दान-पुण्य, तिल-गुड़ की मिठास और नई ऊर्जा का संचार लेकर आता है। आकाश में डोलती रंग-बिरंगी पतंगें मनुष्य की ऊंची आकांक्षाओं और उम्मांगों का प्रतीक हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, इस उत्सव की मिठास पर चाइनीज मांडे का घातक जहर फुल गया है। जिसे हम शौकिया तौर पर आकाश में उड़ाते हैं, वह जमीन पर किसी निर्दोष राहगीर के लिए फंदा बन जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मेरठ और मध्यप्रदेश के इंदौर जैसे जीवंत शहर में हाल ही में हुई हृदयविरादक घटना, जहां मौत के मांडे में लिपटी चाइनीज डोर एक युवक को गला काट गई और कई घायल हुए। इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन की पाबंदी और हमारी नागरिक जागरूकता के बीच एक बहुत बड़ी गहरी और जानलेवा खाई अभी भी है।

चाइनीज डोर से सैकड़ों मौत के केस गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्यों से सामने आ रहे हैं। हर वर्ष पतंगबाजों को समझाइश दी जा रही है। इतने साहित्यिक आलेखों, विज्ञापनों आदि के माध्यम से खुनी चाइनीज मांडे से बचाव की अपील की जा रही है पर दुखद घटनाएं तो जैसे खम ही नहीं हो रही। साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हम चाइनीज मांडा कहते हैं, उसका चीन से अब कोई सीध संबंध नहीं रह गया है। यह हमारे अपने ही बाजारों में बिकने वाला एक घातक उत्पाद है। यह वास्तव में हमारे भारत में ही प्लास्टिक, नायलॉन या सिंथेटिक धागों से बना जानलेवा धागा होता है, जिस पर बारिक पिसे हूए कांच और लोहे के चूरे की परत चढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मोनोफिलामेंट स्ट्रिंग कहा जाता है। इसकी भयावहता सीधे जानलेवा दुर्घटना है, इसके मुख्य कारण है कि यह अटूट और धारदार डोर है। पारंपरिक सूती मांडा हाथ या झटके से टूट जाता है, लेकिन नायलॉन का यह धागा इतना मजबूत होता है कि यह इंसान को हड्डी, मांस और धमनियाँ को सर्जिकल ब्लेड की तरह चीर देता है। यह धागा विद्युत सुचालक होता है। इसमें धातु के अंश होने के कारण, जब यह बिजली के हार्ड-टेशन तारों के संपर्क में आता है, तो पतंग उड़ाने वाले को जानलेवा करंट लगने का भी डर रहता है। यह चाइनीज धागा पर्यावरण का दुश्मन भी है। यह अजैव निम्नीकरणिय (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) है। इसमें प्लास्टिक और कांच का समायोजन होता है, यानी यह कभी नष्ट नहीं होगा। हम साधारणतया देखते है कि उत्सव खत्म होने के महीनों बाद भी यह पेड़ों, खंभों और छतों पर फंसा रह जाता है। इसकी चपेट में आने से कई बेजुबान

पशु-पक्षी को भी नुकसान पहुंचता है। यह पक्षियों के पेरों और पंखों को काटकर उन्हें तड़प-तड़प कर मरने पर मजबूर कर देती है।

चाइनीज डोर बेचनी मौत का कारोबार करने जैसा है। जिसमें चंद रुपयों का लालच किसी के घर के चिराग बुझा देता है। प्रश्न उठता है कि जब यह प्रतिबंधित है, तो बाजारों में कैसे पहुंच रहा है? असल में, यह मौत का कारोबार लोभ पर टिका है। कुछ दुकानदार अधिक मुनाफे के लिए इसे गुप्त ठिकानों से बेच रहे हैं। कानूनी तौर पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देशभर में नायलॉन या सिंथेटिक मांडे के उपयोग और बिज्जी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। इंदौर, गुजरात, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन भी लगातार छापे मार रहे हैं, लेकिन जब तक उपभोक्ता खुद ही इसकी मांग करना बंद नहीं करेगा, तब तक यह कालाबाजारी रोकना लगभग असंभव है। इस समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक निगरानी एक सशक्त विकल्प हो सकता है। स्थानीय मोहल्ला समितियों और युवा मंडलों को सक्रिय होकर अपने क्षेत्रों में निगरानी रखनी चाहिए। यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित डोर का उपयोग या बिज्जी दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। सामूहिक बहिष्कार ही इस जानलेवा डोर की जड़ काट सकता है।

बढ़ती दुखद घटनाओं को देखते हुए सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित जीवन रक्षक उपाय अपनाना अनिवार्य है:-

दोपहिया चलते समय गले को कवच दें। मफलर, मोटा स्कार्फ, लेदर या ऊन का गले पर मोटा कपड़ा (नेक गार्ड) जरूर पहनें। हेल्मेट का वाइजर (शील्ड) हमेशा नीचे रखा ताकि मांडा आपकी आंखों या चेहरे को नुकसान न पहुंचा सके। पतंगबाजी वाले इलाकों या पटनाईओवर पर वाहन की गति अत्यंत धीमी रखें। अपनी मोटरसाइकिल या एफ़्टरवेल के आगे लोहे का सुरक्षा वायर (यू-गार्ड) लगावाएं। पंतु पतंगबाजों का नैतिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा रखने वालों से अधिक बनता है। उनको अपने शौक के लिए केवल स्वदेशी पारंपरिक सूती धागे का उपयोग करना चाहिए। उत्सव की गरिमा सदागी और प्रेम में है, किसी को क्षति पहुंचाने में नहीं। पतंगबाजों को मन में दया का भाव बढ़ाना चाहिए। सुबह और शाम के समय (जब पक्षी पोस्तलों से निकलते या लौटते हैं) पतंगबाजी न करें।

हमें समझना होगा और समझाना होगा कि पतंग की तरह हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि हमारा विवेक उस डोर के हाथों बिक जाए। पर्व-त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, शोक मनाने के लिए नहीं। इस संक्रांति पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं चाइनीज मांडे का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे। आसमान की ऊंचाई तब तक ही सुंदर और संतुष्ट है, जब तक जमीन पर रहने वाला हर इंसान, प्राणी और परितः सुरक्षित है। तिल-गुड़ की मिठास के साथ सुरक्षा का संकल्प ही इस पर्व की सच्ची दानशीलता होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धू परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोंकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इन्से समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अगर किताब उबारू निकल जाए तो पाठक किस को धकियाए?

त्वंय

अतुल चतुर्वेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



धुंध ख सब तरफ छायी है इन दिनों, उन्होंने दुखी होते हुए कहा। क्या साहित्य, क्या राजनीति और क्या समाज में। मैंने कहा आजकल ऐसे ही दिन है भाईसाहब जिससेउम्मीद होती है कि यह कुछ उजाला लाएगा वही अगले पल स्वयं ही किसी कोहरे मेंधरा पाया जाता है। वे और दुखी हो गये कहने लगे, देखा नहीं आपने वरिष्ठ रचनाकारों की कोई पृष्ठ ही नहीं है उनके लिखे को कोई रेखांकित ही नहीं कर रहा है। क्या साहित्य में भी मार्गदर्शक मण्डल की स्थापना होगी ? मैंने कहा नये लोगों को मौका दिया जा रहा है इसमें बुराई क्या है ? वो बोले घर के

पुराने बर्तन फेंक देते हो क्या ? विरासत भी कोई मूल्य सखती है, जड़ों के बिना शाखाओं का क्या अस्तित्व ? मैं उनके तर्क के आगे अधिकतर चुप हो जाता हूँ। वे वैसे ही धुंध से दुखी हैं मैं उनकोऔर दुखी नहीं करना चाहता। वे बोले देखो , हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है ...पता नहीं कौन किस को किफर लिए जा रहा है। मैंने कहा कह तो सब यही रहे हैं किहमारे साथ चलो , हमारा रास्ता विकास और कल्याण का रास्ता है। अब यह तो जनता पर है कि वो किस राह को पकड़ती है।

वो बोले राहों का क्या है वहैं तो राहजन भीबैठे हैं चेहरे पर नकाब डाले। सवाल तो यह है कि ऐसे घने कोहरे में जब गाड़ियाँ चढ़ी जा रही हैं एक दूसरे पर पाठकों का क्या है वो तो तुरंत भटक किता है। कोई भी कमजोर रचना उसका संस्कार और आस्वादन बिगाड़ सकती है। मेरी चिंता में देशऔर आम नागरिक था उनकी चिंता में साहित्य और पाठक। वैसे अंतर कोई विशेष नहीं था हम

दोनों ही एक सड़क के दो छोरों पर चिंतारत थे बस फ़ासला बीच की सड़क का था। इसे आप सोच का फ़ासला भी कह सकते हैं। उस पार सड़क केदिख मुझे भी कुछ नहीं रहा था और उन्हें भी कुछ नहीं। वो क़रीब आ कर बोले, देखा यह भ्रम की धुंध कुछ भी निर्णय नहीं लेने दे रही। आदमी जाए तो जाए कहीं। किस की राह का अनुसरण करे, कहीं कोई भटका कर अभयारण्य में ले गया तो देश तो गया न दशकों पीछे। और देश गया तो साहित्य भी। मैंने कहा साहित्य तो आगे चलने वाली मशाल है प्रेमचंद ने कहा था। बोले उस मशाल में स्वाभिमन का ईंधनथा इस टॉच में चाटुकारिता और जुगाड़ के सेल लगे है चलने की कोई गारंटी नहीं। अंधेरा फिर बरकरार रह सकता है और गंतव्य फिर धुंधला सकता है।

टकराहट फिर बढ़ सकती है जब जगह कम होती है मंच पर और दावेदार ज्यादा तो अक्सर या तो आकांक्षाओं के बोझ से मंच

टूट जाते हैं या भगदड़ में सूझ नहीं पाता कि जाना किस के साथ और निकल किस के साथआए। आने वाले दिनों में अनिश्चय की ओस और गिरणी, अविश्वास का कोहरा और बढ़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का शोर चरम पर होगा। साहित्य लोकप्रियता की फुटपूथ पर खड़ा टिकरू रहा होगा। शब्द अभिव्यक्ति के सुरक्षित मार्ग ढूँढ रहे होंगे, पाठक पहचान जाहिर न करने की शर्त पर प्रतिक्रिया देने को तैयार होंगे। रचना तो अच्छी थी लेकिन संदेश स्पष्ट नहीं है कि लेखक क्या कहना चाहता है।

अब लेखक तो तब कुछ कहे जब उसे कुछदिखे और जो दिखे उसे समझने और सुनने, माननेवाले हों। इस कोहरे में संपूर्ण परिदृश्य ही गड़बड़ है। कलाएं हाशिए पर हैं औरभड़ैती चरम पर। सच्चा लेखक हॉफ़ रहा है और फ़ज़ी हर मंच पर हॉफ़ रहा है। यूट्यूबर नोट छाप रहे हैं, ब्लॉगर बगले झांक रहे हैं। वत्स यहविस्थापन का दौर है यहाँ पुकार

अट्टहास से और ईमानदारी टुटकों से धकियाई जा रही है और आप हैं कि इस कोलाहल में रास्ता खोज रहे हैं। गीत रेप हुए जा रहे हैं। व्यंग्य वन लाइनर में जा कर छह्हरा हो गया है। कथाओं के अकाल के चलते कथेतर गद्य की खेती लहला रही है। धुंध कुछइस कदर छायी है कि व्यंग्य ढूँढ़ने निकलते तो राजनीतिक दल का बयान निकलता है और कविता तलाशो तो गद्यात्मक बयानबाजी। फिर भी सब साथी हाथ बढ़ाना रे की तर्ज पर एक दूसरे को धकिया रहे हैं। आलोचक प्रकाशक को , प्रकाशक लेखक को और लेखक पाठक को भैया मेरी किताब पढ़ो। अगर किताब उजाऊ निकल जाए तो पाठक किस को धकियाए उस हाशिए पर खड़े आदमी पर क्या रास्ता है बच निकलने का। ऐसी गफलत में वो किफ़र का रास्ता संभालेगा ? किताबों से मोहभंग का या लेखक बन बदला निकालने का? इस कठिन और भ्रमपूर्ण समय में यह पता लगाना ही किसी चुनौती से कम नहीं है।



डिजिटल क्रांति

डॉ. सुधीर कुमार

(कुरुक्षेत्र विवि के विधि विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर)



भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारी संस्कृति ‘साधना’ और ‘मानवीय संवेदना’ की रही है। जब एक एल्गोरिदम बिना किसी रूह या एहसास के ‘कला’ पैदा करता है, तो सवाल उठता है कि क्या केवल डेटा की प्रोसेसिंग को ‘सृजन’ माना जा सकता है? आलोचकों का तर्क है कि एआई कुछ नया नहीं बनाता, बल्कि वह इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों कलाकारों की मेहनत को ‘रीमिक्स’ करता है। इसे ‘डिजिटल चोरी’ कहें या ‘नया आविष्कार’, यही आज की सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक बहस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट की इस बहस में अमेरिका का ‘थेलर बनाम पेल्मटर’ केस एक मील का पथर बन गया है। स्टीफन थेलर नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने अपनी एआई मशीन ‘क्रिएटीविटी मशीन’ द्वारा बनाई गई एक कलाकृति ‘अ रीसेंट एट्रेंस टू पैराडिज़’ के लिए कॉपीराइट आवेदन किया।

थेलर का तर्क था कि चूँकि मशीन ने इसे स्वायत्त रूप से बनाया है, इसलिए मशीन को ही लेखक माना जाए। अगस्त 2023 में अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश बेरिल पेल्मटर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए थेलर की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानवीय भागीदारी कॉपीराइट की एक अनिवार्य शर्त है। अदालत ने सदियों पुराने कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि कॉपीराइट केवल इंसानों की बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए बना है, मशीनों के लिए नहीं। यह फैसला दुनिया भर के देशों के लिए एक नज्ीर बन गया है कि बिना मानवीय स्पर्श के किसी भी सृजन को कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(d) के अनुसार, किसी भी कार्य का रचयिता वह ‘व्यक्ति’ है जो उसे बनाता है। यहाँ ‘व्यक्ति’ शब्द का कानूनी अर्थ हमेशा एक ‘प्राकृतिक इंसान’ से लिया गया है। हाल ही में भारत में ‘राघव’ नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में इसे एक कलाकृति के ‘सह-लेखक’ के रूप में पंजीकृत

राजनीति

राजीव खंडेलवाल

लेखक, कर सलाहकार हैं।



8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृप्पाल कप्रेय (टीएमसी) से जुड़े चुनावी रणनीतिकार साठउन ‘‘आई-पैक’’ (इंडियन पॉलीटिकल एक्शन कमेटी) के कोलकाता स्थित कार्यालय, निदेशक एवं सह-संस्थापक प्रतीक जैन (संस्थापक प्रशांत किशोर) के आवास सहित कुल 10 परिसरों (जिनमें दिल्ली के 4 परिसर भी शामिल हैं) पर एक साथ छापेमारी की गई।

क्या मात्र इस आधार पर कि आरोपित कंपनी किसी राजनीतिक दल के लिए ‘‘सलाहकार कंपनी’’ के रूप में काम कर रही थी, पर पड़े छापे को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध की संज्ञा’’ दी सकती है? जबकि वास्तव में यह कार्रवाई तथाकथित 1352 करोड़ रुपये के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े प्रतीक जैन के लगभग 10-12 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई बरलाई जाती है। जवाब में ममता ने अमित शाह के विरुद्ध तथाकथित कोयला घोटाले के जहां जबकि वे छापे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से अमित शाह की नियंत्रण में रखने की बात कह रही थी। पैसे लेने के सबूत की कथित पेन ड्राइव होने के बावजूद जारी न करना ममता के ‘‘तेवर’’ से मेल नहीं खाता है। इसका चाफ मतलब पेन ड्राइव की ‘‘वास्तविकता’’ ही कोसो दूर है। अचानक पड़े ईडी के छापे के दौरान परिचम बंगाल की शैली कहे जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ छापा स्थलों पर जिस तत्परता से पहुंचकर वहां से एक ‘‘हरी फाइल’’, हार्डडिस्क, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज ‘‘जबरन’’ अपने साथ ले गईं। गोया कि ‘‘तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुर्द, तुम ही

पुस्तक समीक्षा

दिनेश पाठक

(वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक)



देव आनंद की चिर युवा छवि और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्रति युवाओं की करिश्माई दीवानगी के पीछे खास किस्म का फलसफा हुआ करता था। आज वही फलसफा मेरे जेहन में तब उभर रहा है जब मैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता देव आनंद की जिंदगी, उनकी फिल्में, उनके गीतों और उनके जीवन के सुने अनसुने किस्सों को लेकर एक ऐसे युवा लेखक के द्वारा लिखी गई किताब, के पन्ने पलट रहा हूं जिसका जन्म देव आनंद के उरूज के बहुत बाद में हुआ। ‘मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया’ किताब के लेखक दिलीप कुमार पाठक, देव आनंद की जबरदस्त मकबूलियत वाले दिनों के गवाह कतई नहीं रहे।

पच्चीस अध्यायों में विभाजित किताब, देव आनंद की जीवन गाथा से प्रारंभ होती है और फिर जोश और जज्जे से भरी उनकी जिंदगी के तमाम खास चैप्टर एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं। इनमें शामिल हैं उनके प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की स्थापना, चार्ली चैपलिन से उनकी मुलाकात, अभिनेत्री सुरैया से उनका अफेयर और फिर दूसरी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह वगैरह। किताब की एक और खासियत है इसके जो दो अध्याय जिनमें देव आनंद की क्लासिक फिल्मों और उन फिल्मों के कल्ट गीतों की चर्चा विस्तार से की गई है। क्लासिक फिल्मों में शामिल हैं, सी.आई.डी. ,जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, गाइड, कालापानी, तेरे मेरे सपने, हम दोनों और तेरे घर के सामने।

कल्ट गीतों वाले अध्याय में सबसे पहले जिक्र है किताब के शीर्षक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया... गीत का। इसके बाद बारी-बारी से खोया खोया

वीथिका

कलम और कोडिंग के बीच छिड़ा कला का कुरुक्षेत्र

आज की डिजिटल क्रांति के दौर में जब हम सुबह उठते हैं, तो संभव है कि सोशल मीडिया पर दिखी कोई मंत्रमुग्ध कर देने वाली पेंटिंग या कानों में रस घोलता कोई नया संगीत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक ‘ब्लैक बॉक्स’ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया हो। मिड जर्नी और चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने सृजन की सदियों पुरानी परिभाषा को चुनौती दी है। लेकिन, इस तकनीकी छलांग के साथ ही एक वैश्विक कानूनी युद्ध शुरु हो गया कि क्या एक मशीन ‘कलाकार’ हो सकती है? और यदि हाँ, तो उस कला का असली मालिक कौन है। कोडिंग करने वाला इंजीनियर, डेटा देने वाला कलाकार, या स्वयं मशीन! कल्पना कीजिए, एक सॉफ्टवेयर लाखों पेंटिंग्स को स्कैन करता है, पिकासो के ब्रश स्ट्रोक्स को समझता है, दा विंची के रंगों के संयोजन को सीखता है और पलक झपकते ही एक ऐसी तस्वीर बना देता है जो बिल्कुल मौलिक लगती है। इसे ‘जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ कहते हैं।

करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन जब मामला गहराया, तो कॉपीराइट कार्यालय ने इसे कानूनी पेचीदगियों के कारण वापस लेने की प्रक्रिया शुरु की। भारत की संसद की एक स्थायी समिति ने भी सुझाव दिया है कि मौजूदा कानूनों में बदलाव की जरूरत है ताकि एआई द्वारा बनाई गई रचनाओं को उचित श्रेणी में रखा जा सके, लेकिन प्राथमिकता हमेशा मानव कलाकार को ही मिलनी चाहिए।

वर्तमान डिजिटल युग में ‘डेटा स्कैपिंग’ बौद्धिक संपदा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। एआई कंपनियां अपने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद दुनिया भर के कलाकारों की पेंटिंग और लेखकों की कालजयी कृतियों को बिना किसी अनुमति के खंगाल रही हैं। इसे तकनीकी भाषा में भले ही ‘लर्निंग’ या ‘ट्रेनिंग’ कहा जाए, लेकिन मौलिक रचनाकारों के लिए यह उनकी मेहनत की अनधिकृत कटाई जैसा है। हाल ही में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ बनाम ओपन एआई का कानूनी संघर्ष इसी वैचारिक युद्ध का प्रतीक बन गया है, जहाँ एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान ने अपनी बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए करोड़ों लेखों के अवैध इस्तेमाल को चुनौती दी है।

संकट केवल डेटा के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहचान की चोरी तक जा पहुँचा है। आज वॉटरमार्क और हस्तक्षर का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि एआई किसी भी कलाकार की

विशिष्ट शैली की इतनी बारीकी से नकल कर लेता है कि असली और मशीनी सृजन के बीच का भेद लगभग समाप्त हो गया है। जब एक मशीन किसी पेंटर की बरसों की साधना को चंद सेकंड के ‘प्रॉम्प्ट’ में दोहरा देती है, तो वह केवल एक उपकरण नहीं रह जाती, बल्कि कला के अस्तित्व



के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाती है। यदि कानूनी ढांचे में जल्द ही बदलाव नहीं किए गए, तो ‘आधुनिक उपकरण’ के नाम पर ‘डिजिटल चोरी’ का यह सिलसिला रचनात्मक जगत की नींव हिला देगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलाकारों की जगह लेने के बजाय उनके काम को आसान बनाने का एक औजार है। यह उन जटिल और दोहराव वाले कार्यों को चंद सेकंडों में पूरा कर सकता है जिनमें पहले

घंटों का समय बर्बाद होता था। इससे कलाकारों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे बारीक तकनीकी प्रक्रियाओं के बजाय गहरे, मौलिक और अधिक रचनात्मक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा, तकनीक का यह विकास रोजगार के नए द्वार भी खोल रहा है।

‘प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग’ जैसे उभरते क्षेत्र इस बात का प्रमाण हैं कि भविष्य में उन विशेषज्ञों की भारी मांग होगी जो मशीन और मानव मस्तिष्क के बीच सेतु बनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही दिशा दे सकें। अंततः, कला केवल तकनीक से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जीवंत होती है; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस संवेदना को आकार देने वाला एक आधुनिक कैनवास मात्र है। सृजन के इस नए और चुनौतीपूर्ण युग में कानून और तकनीक के बीच सामंजस्य बिठाना अब ऐच्छिक नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सबसे

पहला कदम एट्रिब्यूशन और रॉयल्टी की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना है। यदि कोई एआई मॉडल किसी जीवित कलाकार के काम और डेटा से प्रशिक्षित होकर नई सामग्री सृजित कर रहा है, तो उस मूल कलाकार को उसका उचित ‘क्रेडिट’ और आर्थिक लाभ मिलना ही चाहिए। यह न केवल कलाकार के श्रम का सम्मान होगा, बल्कि कला की मौलिकता को भी

जीवित रखेगा।

साथ ही, सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को अनिवार्य प्रकटीकरण के कड़े नियम बनाने होंगे। प्रत्येक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सामग्री पर एक विशिष्ट ‘टैग’ या ‘डिजिटल वॉटरमार्क’ होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता स्पष्ट रूप से पहचान सकें कि सामग्री मशीन द्वारा निर्मित है न कि मानव द्वारा। अंततः, हमें एक ऐसे संशोधित कॉपीराइट ढांचे की आवश्यकता है जो ‘हार्डब्रिड मॉडल’ पर आधारित हो। इस ढांचे के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक ‘रचनात्मक उपकरण’ माना जाना चाहिए, जिसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास हो जिसने अपने विशिष्ट निर्देशों और कल्पना से उस मशीन को दिशा दी है। इस तरह के संतुलित कानूनी सुधार ही भविष्य के डिजिटल परिदृश्य में क्रिएटर्स के अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे।

बिना रूह का कलाकार केवल डेटा प्रोसेस कर सकता है, वह ‘अनुभव’ और ‘पीड़ा’ को शब्द नहीं दे सकता। एक माँ की ममता, विरह का दुख या देशभक्ति का जज्बा वही लिख सकता है जिसने उसे जीया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन ‘पेंट ब्रश’ हो सकता है, लेकिन उसे पकड़ने वाला हथ हमेशा इंसान का ही होना चाहिए। सृजन का श्रेय उस मशीन को नहीं, बल्कि उस मानवीय मेधा को मिलना चाहिए जिसने उस मशीन को बनाया और उसी दिशा दी। हमें तकनीक से डरने की बजाय उसे कानून के दायरे में बांधने की जरूरत है, ताकि ‘पिकासो’ की विरासत भी सुरक्षित रहे और भविष्य का ‘एल्गोरिदम’ भी मानवता के काम आ सके। कला बदलती है, समाप्त नहीं होती।

क्या ‘सोरेन’ या ‘केजरीवाल’ बनने जा रही हैं ममता?

मुंसिफ.....’’।

‘‘घटना का परिणाम?’’

हाल के वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दो अलग-अलग राजनीतिक परिणाम देश देख चुका है। एक, अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध विधानसभा चुनाव से लगभग 65 दिन पूर्व कार्रवाई, गिरफ्तारी, जेल से शासन चलाने का केजरीवाल का ‘‘हथेली पर सरसों जमाने जैसा’’ अभूतपूर्व, दुस्साहसिक एवं अनैतिक प्रयोग।

दूसरा हेमंत सोरेन के विरुद्ध चुनाव से लगभग 290 दिन पूर्व कार्रवाई, परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। स्पष्ट है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में ममता के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तब ममता बनर्जी-कौन-सा रास्ता चुनेंगी?

‘‘राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और न्यायिक मोर्चा।’’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को टीएमसी के ‘‘आई.टी. सेल’’ का प्रमुख बतलाते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा ‘‘जबरन’’ दस्तावेज हटाना जांच में ‘‘बाधा’’ है। इसी आधार पर ईडी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया। दूसरी ओर, टीएमसी ने भी छापेमारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रतीक जैन के परिजनों ने भी ईडी की छापा कार्रवाई के दौरान कीमती सामान की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस घटना के भी स्पष्ट रूप से निम्न दो पहलू हैं। टीएमसी जहां इसे बीजेपी-नीति केंद्र द्वारा लक्षित उपीड़न के रूप में देख रही है, वहीं अन्य इसे वित्तीय अनियमितताओं की वैध जांच के रूप में देखते हैं। पूरा घटनाक्रम देश में एक बड़े राजनीतिक, संवैधानिक मर्यादा,

संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन का विवाद का रूप ले चुका है। इस पर राजनीतिक जोड़-घटना किए बिना गंभीरता से मनन किया जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास की संभवतः यह पहली ऐसी अवांछित घटना है, जहां किसी राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचकर दस्तावेज ले जाकर जांच में बाधा डालते दिखाई दी हों, और जांच एजेंसी को ‘‘अरध तर्जिहें बुध सबख जाता’’ की तर्ज पर ‘‘आंसू पीकर बेबस रह जाना’’ पड़ा हो।

यह घटना ‘‘भारत संघ’’ जो ‘‘राज्यों के संघ’’ से मिलकर बना है, की ‘‘अनेकता में एकता’’ की भावना पर गहरा आघात होकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी संकट का संकेत भी है। जिससे ‘‘पार पाना तलवार की धार पर चलने जैसा’’ है।

ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर आसीन हैं। ईडी की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व बाधा निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि ममता को आशंका थी कि ईडी के माध्यम से भाजपा द्वारा तथाकथित दस्तावेजों का दुरुपयोग होगा, तो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा हेतु या तो वे पद से मुक्त होकर उक्त कार्य करती अथवा ‘‘गांधारी’’ होकर ‘‘दुर्योधन’’ को उक्त दस्तावेज लाने भेजती, ताकि संवैधानिक मुख्यमंत्री पद की मर्यादा बनी रहती। तथापि सड़क पर संघर्ष कर विरोध प्रकट करना ममता का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है।

1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई, किंतु मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 और संशोधित अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद से वर्ष 2014 से इसके प्रयोग में तीव्रता आई। तब से ‘‘सीबीआई’’ से ज्यादा ‘‘खौफ’’ ‘‘ईडी’’ का हो गया है। यह सीबीआई वही है, जिसे गैर भाजपा

शासित 11 राज्यों की सरकारों ने भिन्न-भिन्न समयों पर अपने-अपने प्रदेशों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, इसी सीबीआई के बावत उच्चतम न्यायालय ने ‘‘यूपीए’’ (2013 में) से लेकर ‘‘एनडीए’’ (2024 में) सरकार तक में उसे ‘‘पिंजरे का तोता’’ कह दिया था, यानी कि ‘‘लोग मशहूर हो गए इन्हें शर्मसार करते करते।’’ तब जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार डंडा चलाये जाने के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों की कार्य कुशलता में अपेक्षित सुधार न होने, और ‘‘दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना’’ वाली स्थिति में क्या भविष्य में विपक्ष को ममता बनर्जी जैसे कदम उठाकर जांच एजेंसियों का सामना करना होगा? जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा?

यह उल्लेखनीय है कि 2015 से अब तक 5892 मामलों में केवल 15 दोषसिद्धियाँ हुई हैं। अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने ईडी की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे ‘‘crook अर्थात् धोखाबाज अपराधी जैसे व्यवहार’’ से बाज आने की चेतावनी इस आधार पर दी थी कि 2015 से अब तक ‘‘पीएमएलए’’ के तहत 5892 मामलों में केवल 15 दो दोष सिद्धियाँ अर्थात् मात्र 0.5% हुई थीं। 2014-2024 के बीच हुए 7264 छापों में केवल 3% मामले राजनेताओं से जुड़े हैं, जिनमें लगभग 98% विपक्षी दलों से संबंधित हैं।

यहां सवाल ईडी के ‘‘अधिकार’’ या ‘‘क्षेत्राधिकार’’ का नहीं, बल्कि अधिकार के उपयोग उर्फ ‘‘अलदाति के चिराग में से जिनन को बाह्य निकालने’’ के ‘‘समय’’ को लेकर है, जो ‘‘अनुसरित’’ है। वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी पर पाँच वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं? और चुनाव से मात्र तीन महीने पहले सो कर उठकर ‘‘आकाश पाताल एक करने की’’ आवश्यकता क्यों? तथा छापेमारी चुनाव के तीन महीनों बाद करने पर क्या ‘‘कारवां गुजर

चुका होगा’’?

‘क्या यह महज संयोग है या प्रयोग?

यह तर्क कि ‘‘देश में कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं’’ ‘‘आंख में धूल झाँकने वाला है।’’ यह एक तकनीकी बहाना मात्र है। यह तो ‘‘नानी के आगे नहिहाल की बात करने जैसा’’ है। क्योंकि व्यवहार में छापे प्रायः विपक्ष-शासित राज्यों में, नेताओं पर ही है अथवा भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी नेताओं पर ही देखे गए हैं। ‘‘कानून अपना काम कर रहा है’’, यह एक ‘‘तकिया कलाम’’ बन गया है। यह भी कहा जाता है, यदि आप ईमानदार हैं, तो छापे से क्यों डर रहे हैं? ये सब ‘‘तकनीकी बातें सुनने में अच्छी है। परन्तु शाब्दिक अर्थ व यथार्थ’’ (धरातल की वास्तविकता) में कितना गैप (अंतर) है? यह अंतर ही ईडी के आशय, दुराशय, सदाशय पर प्रश्न पैदा कर रहा है। ‘‘दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कल्ल करो हो कि करामात करो हो।’’

प्रश्न यह नहीं कि जांच हो रही है, बल्कि जांच कैसे, क्यों व किस तरह हो रही है? क्या घोषित उद्देश्य (जो प्रायः बनावटी ही होता है) की आड़ में कोई अघोषित राजनैतिक उद्देश्य छिपा है? यही होता ‘‘परसेप्शन’’ है, जो केंद्रीय एजेंसियों की गलत कार्यशैली के कारण जनमानस में गहराते जा रहा है।

महाभारत का प्रसंग है: ‘‘अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा’’-सच कहने का आभास, पर पूरा सच नहीं।

किसी आज जांच एजेंसियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। यह स्थिति लोकतंत्र और संघवाद-दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह स्थिति लोकतंत्र और संघवाद-दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। काहें यह टकराव राष्ट्रपति शासन की ‘‘आशंका’’ को तो बलवती नहीं बनाता है? अतः आज आवश्यकता है आत्मसंभन की, अन्यथा, ‘‘फिर पछताव होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।’’ भविष्य क्या होगा, यह आज के निर्णय तय करेंगे।

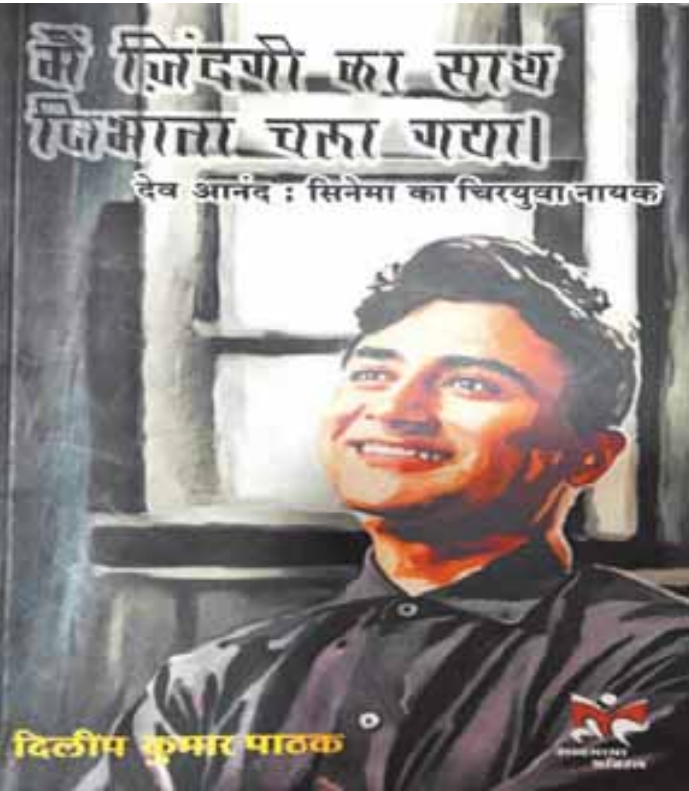
देव आनंद होने का मतलब सिर्फ अभिनय नहीं

देव आनंद के लिए उनकी दीवानगी ने उन्हें उनकी फिल्मों, फिल्मों के गीतों, उनकी हीरोइनों, उनकी चाहतों, उनकी नफरतों, उनकी कामयाबियों और नाकामियों, उनकी पसंद-नापसंद, परिवार, यार दोस्त, रिश्ते नाते जिंदगी का कोई भी पहलू विश्लेषित करने से नहीं छोड़ा। इन सारे सवालों के जवाब संजोकर ही यह किताब तैयार हुई ‘मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।’

चांद, तू कहीं ये बता, अभी न जाओ छोड़ कर, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, पिया तोसे नैना लागे रे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, कांटों से खींच के यह आंचल, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया और रंगीला रे... के भाव, शब्द, संगीत और स्वर का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

देव साहब के अधूरे ख्वाब, शीर्षक वाले अध्याय में दो फिल्मों का जिक्र किया गया है जिनमें से एक ‘द ईविल विदइन्’ 70 के दशक की जेम्स बॉन्ड शैली की फिल्मों की तर्ज पर बनाई गई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी।इसे भारत और फिलीपींस के पारस्परिक सहयोग से नवकेतन फिल्मस के बैनर तले देव साहब ने प्रोड्यूस किया था और फ़िलिपीन के निर्देशक लैंबर्टो वी एवेलेना और इटालियन निर्देशक लुडोी जेम्पा ने डायरेक्ट किया था। दूसरी फिल्म जो सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रही वो, मनोहर मालगांवकर की 1963 में प्रकाशित किताब ‘द प्रिसेंस’ पर आधारित थी। बताते हैं देव साहब ने 1960 के लगभग ही फिल्म बनाने के लिए इस उपन्यास के राइटर्स खरीद लिए थे।

उनका इरादा इस कहानी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पीरियड ड्रामा फिल्म के



रूप में बनाना था जो भारत के इतिहास, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं की वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा सके। फिल्म की अंतरराष्ट्रीय क्राणभूमि एवं पीरियड फिल्म होने के कारण इसके प्रोडक्शन की लागत बहुत अधिक थी। फिल्म निर्माण और कास्टिंग को लेकर भी काफी व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं। इन सब कारणों से यह फिल्म फ्लोर पर नहीं जा पाई और इस तरह देव साहब का यह सपना भी अधूरा ही रह गया।

लेखक ने इस पुस्तक के जरिए देव साहब के इन दो अधूरे सपनों के बारे में बताया गया है। लेकिन, देव साहब का एक तीसरा सपना भी अधूरा रह गया था। वह था विश्वविख्यात सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर और उनकी विदेशी पुत्री ग्रेमी अवार्ड विजेता नोरा जोन्स की कहानी पर आधारित फिल्म ‘द म्यूजिक ऑफ लाइम्स’ का निर्माण। देव आनंद ने स्वयं इन पंक्तियों के लेखक को बताया था कि इस प्रस्तावित फिल्म ‘म्यूजिक ऑफ द लाइम्स’ की स्क्रिप्ट का पहला संस्करण अमेरिकन राइटर्स एसोसिएशन में जमा कर के सब्जेक्ट का कॉपीराइट मांग लिया है।

इस फिल्म के अधिकांश कैरेक्टर अमेरिकन ही होंगे और यह फिल्म सिर्फ अंग्रेजी में ही बनेगी। क्योंकि, ज्यदातर प्रा अमेरिकन हैं, उनसे हिंदी बोलवाना हास्यास्पद लगेगा। भारत में भी इसका अंग्रेजी संस्करण ही रिलीज होगा। यदि, सदाबहार अभिनेता का वह सपना पूरा हो गया होता तो दर्शकों को दो दिग्गजों के रचनात्मक मिलन से प्रेरित एक बहुत ही शानदार फिल्म देखने को मिलती।

किताब में इसके अलावा देव आनंद के गीतों में रफी साहब की आवाज का महत्व, जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित देवानंद, नेशनल पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने वाले देवानंद, देवानंद और नेपाल नरेश की मित्रता,नई प्रतिभाओं को मौका देने वाले देवानंद और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के साथ देव साहब की पक्रिस्तान यात्रा जैसे कुछ अन्य अध्याय भी सम्मिलित किए गए हैं। इनके बारे में अधिकांश आम पाठक समाचारों में या फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और जानकारी रखते हैं। कुल मिला कर देव आनंद के प्रशंसकों की चार पांच पीढ़ियों के लिए इस रोचक किताब में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है और उनके लिए भी जो जानना चाहते हैं, देव आनंद होने का मतलब !

पुस्तक : मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया
लेखक : दिलीप कुमार पाठक
पृष्ठ संख्या : 222
मूल्य : 299/ रूपए

संक्षिप्त समाचार

उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह

सीहोर (निप्र)। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां व इंतजाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री बालागुरु के. की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने संबंधित अधिकारियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक विभागों की झांकी के लिए झांकी बनाने के पूर्व थीम अनुमोदित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि, जल संसाधन, सामाजिक न्याय, पंचायत ग्रामीण विकास सहित अनेक विभागों द्वारा उपलब्धियों को दर्शाती एवं जागरूकता का संदेश प्रसारित करने वाली चलित झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी।

पाहनबरी व रामपुर में चला कृषि रथ, किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी

नर्मदापुरम (निप्र) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के निर्देशों के तहत विकासखंड नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत पाहनबरी एवं रामपुर में कृषि रथ चलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को कृषि से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि महाविद्यालय पवारखड़ा की कृषि वैज्ञानिक डॉ रीता उरवतिया ने कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय बताए साथ ही उन्होंने फसल विविधीकरण एवं खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी दी बीटीएम आत्मा श्री गौरव तिवारी ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती जयश्री देशमुख ने ई-टोकन एवं उन्नरक वितरण प्रणाली की जानकारी दी। उद्यानिकी विभाग से सुश्री विजयलक्ष्मी बलबंदे ने उद्यानिकी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं पशुपालन विभाग से श्री कैलाशचंद सावनेर ने पशुपालन योजनाओं से कृषकों को अजगत करया। कार्यक्रम में सहायक संचालक कृषि श्रीमती अर्चना परते, कृषि विस्तार अधिकारी महक चतुर्वेदी, पटवारी, सचिव, सरपंच सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

धरती आबा अभियान अंतर्गत ग्राम दाऊद बासौदा में जाति प्रमाण पत्रों का वितरण

विदिशा (निप्र)। धरती आबा अभियान के अंतर्गत विकासखंड बासौदा के ग्राम दाऊद में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान पात्र हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं संबंधित विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों के लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया। कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ प्रदान करना रहा। कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उन्होंने शासन एवं प्रशासन के प्रति संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। धरती आबा अभियान के तहत आगे भी ऐसे शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

पीएम श्री विद्यालय में स्थापित हुआ ‘विजन ‘फॉर राइजिंग इंडिया’ सेल्फी प्वाइंट’

विदिशा (निप्र)। पीएम श्री महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री योजना के अंतर्गत एक आकर्षक सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया है। यह सेल्फी प्वाइंट ‘विजन फॉर राइजिंग इंडिया’ की थीम पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2047 तक के लिए पीएम श्री योजना के शैक्षणिक उद्देश्यों और राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। सेल्फी प्वाइंट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतोंकृगुणवत्पूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, समावेशिता एवं वैश्विक दृष्टिकोणकृको केन्द्र में रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के भारत की संकल्पना से जोड़ना तथा उनमें आत्मगौरव और प्रेरणा का संचार करना है। विद्यालय परिसर में लगाए गए इस सेल्फी प्वाइंट को लेकर छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। छात्राएं इसे देखकर न केवल आकर्षित हुईं, बल्कि पीएम श्री योजना के लक्ष्यों और 2047 के विकसित भारत के विजन को भी समझने के लिए प्रेरित हुईं।विद्यालय की प्राचार्य डॉ. दीप्ति शुक्ला ने बताया कि यह सेल्फी प्वाइंट पीएम श्री स्कूलों के 2047 विजन को दर्शाता है, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचारी पहलें विद्यार्थियों में सकरात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करती हैं।

शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू- 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के साथ शामिल हुए। मंत्रि-परिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा द्वितीय चरण के लिए 200 सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित व्यय 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक होगी।

उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना लागत 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

सहायक उप निरीक्षक स्व. गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत : मंत्रि-परिषद द्वारा जिला मऊगंज में हुई घटना में दिवंगत स्व. रामचरण गौतम, सहायक उप निरीक्षक के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि दिये जाने की स्वीकृति दी गयी। उल्लेखनीय है कि दिवंगत स्व. गौतम के परिवार को 10 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि पूर्व में 1 अप्रैल 2025 को प्रदान की जा चुकी है। जिला मऊगंज थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम गडरा में एक परिवार के लोगों को समुदाय के लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था। घर के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद शव को अभिरक्षा में लेने के दौरान समुदाय द्वारा पुलिस अमले पर हमला कर दिया था। हमले में श्री गौतम ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कर्तव्य का पालन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50त छूट दिये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला-2026 एवं

प्रदेश में खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं हर संभव सुविधाएं: श्री उडके

हरदा (निप्र)। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस से हरदा में प्रारम्भ कमल युवा खेल महोत्सव का समापन स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को हुआ। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उड्के, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारतीय राजू कर्मेडिया, पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, जिला अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष टिम्परनी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, पूर्व विधायक टिम्परनी श्री संजय शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री संदीप पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व खिलाड़ी उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कालिका नगर नर्मदापुरम स्थित नर्मदा बैकरी एवं पेटिस पालर की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार एवं जितेंद्र सिंह राणा द्वारा निरीक्षण के दौरान गंदगी में ब्रेड एवं टोस्ट का निर्माण होना पाया। बैकरी संचालक द्वारा परिसर की साफ सफाई नहीं की जा रही है और मकड़ी के जाले और अस्वच्छ वातावरण में ब्रेड पेटिस और टोस्ट का निर्माण किया जाना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार द्वारा ब्रेड और टोस्ट के नमूने जांच हेतु लिए गए। विक्रेता को नोटिस जारी किया जा रहा है। संयुद्धित नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त विक्रेता के द्वारा खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सुधार होने तक निर्माण इकाई का संचालन न करने का निर्देश दिए गए है और इसलिए तुरंत प्रभाव से निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।



उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के अंतर्गत सोलर-सह चार घंटे 300 मेगावाट, सोलर सह छह घंटे 300 मेगावाट एवं सोलर-सह 24 घंटे 200 मेगावाट विद्युत प्रदाय की सिंगल साइकिल चार्जिंग आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से राज्य में पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ एवं भरोसेमंद विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उपलब्ध विद्युत केवल दिन के समय उपलब्ध रहती है और इसकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की उपलब्धता भी अनिश्चित रहती है, क्योंकि यह पवन की उपलब्धता एवं गति पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, गिड स्थिरता की आवश्यकता, पीक-डिमांड प्रबंधन तथा विद्युत की चौबीसों



कार्यक्रम में गंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। समापन अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री उड्के ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री उड्के ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश व केन्द्र सरकार खिलाड़ियों व खेलों के

प्रोत्साहन के लिये सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी है। हरदा में यह आयोजन अत्यंत सराहनीय है क्योंकि जिला स्तर पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में ओलंपिक नियमों और मापदंडों के अनुसार बच्चों को खेल खिलाए गये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में प्रारंभ हुआ ‘संकल्प से समाधान अभियान’



संकल्प से समाधान अभियान का सफल आयोजन कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) द्वारा अभियान के प्रथम चरण के लिए ग्राम/वार्ड स्तरीय समितियों एवं

नोडल अधिकारियों की टीमों का गठन कर तैनाती की गई है। साथ ही, सीईओ जिला पंचायत से समन्वय कर अभियान से संबंधित आवश्यक डेटा एंट्री को पोर्टल पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अभियान के तारतम्य में जिले के विभिन्न स्थानों पर संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

द्वितीय चरण में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति, उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को 3 वर्षों के लिए 5 हजार करोड़ स्वीकृत

प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2028-29) के लिए, 5 हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत मास्टर प्लान की सड़कें जिले की प्रमुख एवं अन्य रोड तथा शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य, सड़क सुरक्षा एवं शहरी यातायात सुधार, शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति/सीवेज / अन्य परियोजनाओं में गैप कवरेज से संबंधित कार्य, इंटरमैशेन एवं डायवर्जन ड्रेन तथा एसटीपी निर्माण संबंधी कार्य एवं राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लागू होने से विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगीं।

अन्य निर्णय : मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद समिति गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।

लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे बरेली तहसील के 36 ग्रामों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में उपलब्ध 322 औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 31 गीगावाट की बिजली आपूर्ति, उल्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों आदि संसाधनों एवं अनुकूल वातावरण के दृष्टिगत अंतरिक्ष-ग्रेड विनिर्माण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में म.प्र. स्पेसटेक नीति-2026= लागू की जाने की स्वीकृति दी। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी।



मिशन शक्ति हब फॉर एम्पोवरमेंट ऑफ वूमेन

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कासबा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास परियोजना विदिशा नवीन अंतर्गत सेक्टर युवराज क्लब की समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मंगल दिवस में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन गायत्री मंदिर में किया गया जिसमें 50 महिलाओं के गोद भराई का कार्यक्रम संपादित किया गया। निर्धारित समय पर अस्पताल में प्रसव कराना चाहिये ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी एवं श्रीमती सरोज टंडन के द्वारा गोद भराई कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर

पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त पर्यवेक्षक एवं समस्त कार्यकर्ता कार्यक्रम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गायत्री परिवार की दीदियों के द्वारा गर्भ से जुड़े संस्कार एवं पोषण के बारे में विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जैसे जमीन होगी वैसा ही फसल होगी। उसी तरह गर्भवती माता गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान रखेगी साथ ही खुश रहे अच्छे सहित्य का अध्ययन करें इन सब का प्रभाव उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। माता को गर्भावस्था के दौरान अपने वजन की नियमित जांच करानी चाहिये समय पर निर्धारित टीके लगवाने चाहिये एनीमिया की जाँच करवानी चाहिये।

जनप्रतिनिधियों ने किया नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण

सीहोर (निप्र)। विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने सीहोर के वार्ड क्रमांक 34 में नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण किया। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि इस नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक से 07 वार्डों के नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर के पास मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। जहाँ सामान्य बीमारियों का इलाज, दवाइयां, पैथोलॉजी जाँचें और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जैसी सुविधाएँ आसानी से मिलती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो रही हैं। कार्यक्रम के दौरान डीएचओ डॉ मालती आर्या, डॉ पिकेश अग्रवाल, श्री राजकुमार गुप्ता, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक श्री हरिओम मेवाड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जिले में 'संकल्प से समाधान' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार युवा दिवस 12 जनवरी से प्रदेश में प्रारंभ हुए -संकल्प से समाधान- अभियान के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने द्वारा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान सुशासन, पारदर्शिता और जनहित में त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने कहा कि 12 जनवरी से प्रारंभ हो चुके इस अभियान को जिले में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने सभी जिला, अनुविभागीय, विकासखंड एवं नगरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को केवल औपचारिकता न मानते हुए इसे जनसेवा के



संकल्प के रूप में क्रियान्वित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में कलेक्टर ने अभियान की चरणबद्ध कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए बताया कि संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक

चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से आवेदन एवं शिकायतों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। इसके लिए घर-घर संपर्क, शिविरों का आयोजन तथा वार्ड स्तरीय दलों की सक्रिय भूमिका

सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस चरण में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से सीएम हेल्यलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने स्पष्ट किया कि अभियान की संपूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्यलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जा रही है, इसलिए सभी नोडल अधिकारी पोर्टल पर समय पर, सही एवं पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवेदन दर्ज करने में देरी, गलत प्रविष्टि या निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। बैठक में द्वितीय चरण के संबंध में कलेक्टर ने बताया कि 16 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में जोन स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रथम चरण में प्राप्त एवं शेष आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने

निर्देश दिए कि क्लस्टर एवं जोन स्तर पर आयोजित शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर हितलाभ वितरण किया जाए। कलेक्टर ने तृतीय चरण की जानकारी देते हुए कहा कि 16 मार्च से 26 मार्च 2026 तक विकासखंड एवं नगर स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें क्लस्टर एवं जोन स्तर पर अनियोजित आवेदनों के साथ नवीन आवेदनों का भी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध हो सके। अभियान के चतुर्थ एवं अंतिम चरण पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे,

जिनकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। इन शिविरों में शेष सभी अनिराकृत आवेदनों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक हितलाभ वितरित किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने यह भी निर्देश दिए कि शिविरों की तिथि, स्थान एवं समय की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाए, ताकि अधिकार से अधिक नागरिक अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार करने और जनहित में प्रभावी पहल करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संकल्प से समाधान- अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने का माध्यम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माणाधीन गीता भवन का किया अवलोकन



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। जानकारी दी गई कि यह भवन जी प्लस टू निर्मित किया जाएगा, अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होना होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी पीआईयू है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।

इस दौरान विधायक अनिल जैन काल्हेड़ा, संजय अग्रवाल, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, एडीएम श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती के जन्मदिन पर होंगे अनेक सेवा कार्य

'एक साल बेमिसाल पर भाजपा जिलाध्यक्ष महंत भारती को बधाई

धारा। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पद पर महंत निलेश जिला के एक वर्ष पूर्ण होने पर एक साल बेमिसाल रहा। आपने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई नवाचार करते हुए संगठन की दशा व दिशा को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। आपने एक वर्ष में संगठन के केन्द्रीय व प्रदेश नेतृत्व की निर्देशों का भलीभाँति पालन करते हुए भाजपा सरकार के जहाँतैयी कार्यों को जन-जन तक पहुँचाये व संगठन की कार्ययोजनाओं को जिले में लगातार प्रवास करते हुए मण्डल ही नहीं अपितु बृथ स्तर तक प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जिलाध्यक्ष महंत भारती राष्ट्रप्रथम व संगठन सर्वोपरी की

भावना से निरंतर सगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते आ रहे हैं।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती की गत वर्ष 16 जनवरी को जन्मदिन के दिन जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद जिले में अनेक अभियान एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने जन्मदिन पर धार जिले में आना और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री निगिन गडकरी जी वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जेपी नड्डा जी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ



मोहन यादव जी का जिले में तीन से चार बार प्रवास कर लोकार्पण व भूमि पूजन में आना महंत निलेश भारती के लिए सौभाग्य की बात है महंत भारती कुशल संगठन के रूप में कार्य करते हुए प. शासक एवं जिले के जन भाषा कार्यकर्ताओं से मन्मथक बनाकर सफल बनाया। राष्ट्रीय शक्ति की बात रेडियो न में धार जिला तीन से बल रह।

अधिकारी एवं जिले के जन प्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ताओं से सफल समन्वयक बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय कार्यक्रम मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रदेश में धार जिला तीन से चार बार अव्वल रहा।

भाजपा जिला अध्यक्ष के जन्मदिन 16 जून जिले को तय कार्यक्रम - भाजपा जिला अध्यक्ष का 16 जनवरी को तय कार्यक्रम इस प्रकार है- सुबह 8 बजे रुद्रप्रवेश सोमनाथ मठ सागीर 10 बजे रक्तदाता शिविर सागीर 11 बजे गौ पूजन लक्ष्मी गौशाला जेतपुरा धार 11:30 पर कम्बल वितरण वृद्ध आश्रम धार दोपहर 12 बजे जोन सेना दिनयन्त्रालय रसोई कैंट तथा 1 4 बजे तक भाजपा जिला कार्यालय धार में कार्यक्रमों द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन होगा तत्पश्चात शाम 5 बजे पीथमपुर में अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।



**बहनों का
आत्मसम्मान बना
मध्यप्रदेश की
सशक्त पहचान**



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

1.25 करोड़ से अधिक
लाड़ली बहनों को
₹1836 करोड़

29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिये ₹90 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण

विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव
द्वारा

द्वारा

16 जनवरी, 2026 | अपराह्न 2:00 बजे

माखन नगर, जिला नर्मदापुरम



अब तक
लाड़ली बहनों को
₹50,468 करोड़ की
राशि अंतरित

डॉ. मोहन यादव
अभ्युदय
मध्यप्रदेश

सीधा प्रकाशन webcast.gov.in/mp/cmevents

©Cmnahtyapradest
©Cmnahtyapradest

 @anmathyapradesh
anmathyapradesh@gmail.com

 [jansampark44](#)

57118111-0

Acting Director, New York